<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0:–47/2016</u>

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.10.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.05.2023 संबंधित आदेश 18 नियम 17 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 06.05.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण ने बंटवारा हेतु दाखिल किया है। जिसमें वादी साक्ष्य के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा 05 साक्षियों का साक्ष्य कराया जा चुका है। दिनांक 16.02.2023 को प्रतिवादी सं0–01 पार्वती देवी की तबीयत खराब हो गयी। उनके ईलाज में अन्य प्रतिवादीगण व्यस्त हो गये। जिस कारण दिनांक 16.02.2023 एवं दिनांक 23.03.2023 को प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा सका। जिस कारण श्रीमान् द्वारा दिनांक 23.03.2023 को प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद कर दिया गया। प्रतिवादीगणों को तथ्यों के बिन्दु पर 02 साक्षी तथा कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करना है। अतः दिनांक 23.03.2023 का आदेश वापस लेते हुए प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देने की कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगे। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 04.07.2023 को दाखिल किया गया तथा प्रतिवादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया है कि प्रतिवादीगण जानबुझकर वादीगण को परेशान करने की नियत से अपने मेली डॉक्टर से ईलाज का गलत पुर्जा बनवाकर दाखिल किये है। अतः प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। दिनांक 23.03.2023 को प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद किया गया। अभिलेख	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0:–47/2016</u>

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 07.10.2023	दिनांक 05.08.2019 से प्रतिवादी साक्ष्य हेतु निर्धारित है तथा प्रतिवादीगणों को दिनांक 21.10.2022 को साक्ष्य लाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। अंतिम अवसर देने के उपरांत दिनांक 16.02.2023 को प्रतिवादीगण को मो0–300/– रूपये हर्जे पर पुनः समय दिया गया परंतु आगामी दिनांक को भी प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अतः दिनांक 23.03.2023 को करीब साढे 03 वर्षो के बाद प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद किया गया। पुनः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अभिलेख को अनावश्यक रूप से लंबित रखना चाहते है परंतु विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्तारण उभय पक्षों के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिससे वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगणों की ओर से प्रतिवादी सं0–01 पार्वती देवी की चिकित्सीय पुर्जा की छायाप्रति भी दाखिल की गयी है। प्रतिवादीगण का कथन है कि उसकी ओर से 02 मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य देना है। अतः प्रतिवादीगण का आवेदन न्यायहित में मो0–2000/– (दो हजार) रूपयें हर्जे पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जो भी साक्ष्य देना है वह विगत तीन तिथियों में दाखिल करें तथा दिनांक 23.03.2023 के आदेश को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 18.10.2023 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	